राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम

स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर 302005

फोन नः0141–2228066, फैक्स नः0141–2228065 ई–मेल :rmsc@nic.in

CIN:U24232RJ2011SGC035067 Website: www.health.rajasthan.gov.in

क्रमांक : प.08( )/आरएमएससी/ई.पी.एम./2019-20/ 2768 दिनांक : 31/10/19

कार्यालय आदेश

M/s Transasia Bio Medical Ltd., Mumbai के साथ निविदा क्रमांक F-8 ( ) RMSC/EPMM-1/14-15/NIB-65/7253 दिनांक 24.12.14 के तहत आईटम Blood Gas Analyzer हेतु दर अनुबन्ध (संख्या 570) किया गया।

दर अनुबन्ध के आधार पर फर्म को उक्त उपकरण की आपूर्ति (संख्या–02) प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, जवाहर लाल नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, अजमेर को किए जाने हेतु क्रय आदेश क्रमांक 4999 दिनांक 25/11/2016 जारी किया गया।

उक्त क्रयादेश के क्रम में आपूर्ति हेतु नियत अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त consignee द्वारा अवगत कराया गया कि उपकरण की आपूर्ति नहीं की गई है। इसी के समानान्तर में फर्म द्वारा पत्रांक TBM/MKT/HO/Q4/16-17/MN-061 द्वारा अवगत कराया गया कि विदेशी प्रमुख उपकरण निर्माता (Nova Biomedical, USA) द्वारा आयातक फर्म से भारत में वितरण/ आपूर्ति का कार्य समाप्त कर दिया है, अतः उनके द्वारा आपूर्ति किया जाना संभव नहीं है। इसी दौरान प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक जवाहर लाल नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, अजमेर द्वारा पत्राचार किए जाकर आपूर्ति नहीं होने तथा इस स्थिति में उपकरण पेटे जमा करायी गयी राशि लौटायी जाने हेतु एकाधिक बार लिखा गया।

फर्म M/s Transasia Bio Medical Ltd., Mumbai द्वारा उक्त चिकित्सा संस्थान में आईटम Blood Gas Analyzer की आपूर्ति नहीं करने के फलस्वरूप कार्यालय के आदेश क्रमांक 1037 दिनांक 25.03.19 से आपूर्ति आदेश क्रमांक 4999 दिनांक 25.11.16 को निरस्त किया गया तथा नवीन दर संविदाकृत फर्म M/s Sower Pvt Ltd.(दर राशि रू. 359310/– प्रति आईटम) को क्रय आदेश सं. 0884/2018-19 दिनांक 25.03.19 जारी किया जाकर आपूर्ति कराई गई।

इस संबंध में M/s Transasia Bio Medical Ltd., Mumbai को नोटिस क्रमांक F-8(32) RMSC/EPM/M-1/RC 2015-16/ABG/2019/470 dated 18-02-2019 व समसंख्यक पत्रांक 1526 दिनांक 30.04.2019 दिया जाकर क्रयादेश की पालना में आपूर्ति नहीं करने पर निविदा शर्तों के अनुसार डिबार किए जाने बाबत स्पष्टीकरण मांगा गया, किन्तु फर्म द्वारा कोई स्पष्टीकरण/ उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

निगम की अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 05.08.2019 में फर्म को सुनवाई का अवसर दिया गया, जिसमें फर्म की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि ने पूर्वानुसार आयातक निर्माता फर्म से अनुबंध समाप्त हो जाने के कारण आपूर्ति न किए जाने बाबत अवगत कराया। परिक्षणोपरान्त अनुशासनात्मक समिति ने पाया कि फर्म द्वारा आईटम की आपूर्ति नहीं किये जाने से न केवल

आपूर्ति और स्थापना में देरी हुई, बल्कि वे रोगी भी चिकित्सा सुविधा से वंचित रहे है, जिनके लिए यह उपकरण खरीदे जाने थे। आयातक फर्म का उत्पादनकर्ता फर्म से अनुबंध उनका आपसी मामला है तथा इससे निगम के प्रति दर अनुबंधकर्ता आयातक फर्म के दायित्व समाप्त नहीं हो जाते है।

अतः अनुशासनात्मक समिति की अनुशंषा के आधार पर निगम के क्रयादेश की पालना में उपकरण की आपूर्ति नहीं किये जाने को अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन मानते हुए फर्म M/s Transasia Bio Medical Ltd., Mumbai को यह आदेश जारी करने की तिथि से 01 (एक) वर्ष के लिए निगम में बोली प्रक्रिया में भाग लेने से debar किया जाता है तथा फर्म पर क्रयादेश का 10% परिसमापन नुकसानी (L.D.) तथा 5% शास्ति आरोपित की जाती है। उपर्युक्त कार्यवाही पूर्व में जारी किये गये क्रयादेश/क्रय किये गये उपकरण जो तकनीकी स्पेसिफिकेशन के अनुरूप पाये जाते है, पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले की गई है।

(सुरेश चन्द गुप्ता)
प्रबन्ध निदेशक
आरएमएससीएल

क्रमांक : प.08( )/आरएमएससी/ई.पी.एम./2018-19/2768 दिनांक : 31/10/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जयपुर, राजस्थान ।
2. निजी सचिव, मिशन निदेशक, एन.एच.एम. जयपुर ,राजस्थान।
3. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वा. निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.।
5. विशेषाधिकारी, आर.एम.एस.सी.।
6. कार्यकारी निदेशक (प्रोक्योरमेन्ट)/वित्त/एल आर.एम.एस.सी.।
7. ए.जी.एम.(आई.टी) आर.एम.एस.सी. को लेख है कि उक्त कार्यालय आदेश को निगम की वेबसाईट पर अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित करें।
8. M/s Transasia Bio Medical Ltd., Mumbai
9. आदेश पत्रावली।

15.10.19
(पवन जैमन)
कार्यकारी निदेशक (ई.पी.एम.)
आरएमएससीएल

C:\Users\admin\Desktop\Debar folder\Debarring order.docx